भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 613
दिनांक 04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
.....

रसायन संवर्धन और विकास योजना

613: श्री जयंत सिन्हा

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायन संवर्धन और विकास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत घटक-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) क्या झारखंड में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर/पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग उद्योग संघों/संगठनों/संस्थानों/स्वायत्त निकायों को संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों, प्रशिक्षणों, अध्ययनों/सर्वेक्षणों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान कर रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए रसायन संवर्धन और विकास योजना को लागू कर रहा है।। इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी है। इस योजना के तहत उपलब्धियों का घटक-वार विवरण इस प्रकार है: -

घटक	किया गया व्यय (लाख रुपये में)		आयोजनों की संख्या	
	2021-22	2022-23*	2021-22	2022-23*
ज्ञान उत्पादों का निर्माण	5.00	0.90	01	01
ज्ञान प्रसार	254.00	175.10	27	30
उत्कृष्टता पुरस्कार	21.00	00.00	01	00
उपरोक्त घटकों के दायरे से बाहर किसी भी गतिविधि का आयोजन	00.00	00.00	00	00
कुल	**280.00**	**176.00**	**29**	**31**

*31 जनवरी, 2022 तक

इस योजना के तहत किसी भी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अवसंरचना और सामान्य सुविधाएं प्रभाग देश भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) को लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और औद्योगिक संपदाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (एफएफसी) की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। सीएफ़सी के लिए, भारत सरकार की ओर से अनुदान 90% तक है, जबकि अवसंरचना विकास परियोजनाओं/एफएफसी के लिए, भारत सरकार की ओर से अनुदान 80% तक है।

इस योजना के तहत, भारत सरकार के 20.65 करोड़ रु. के कुल अनुदान के साथ झारखंड राज्य के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए 01 परियोजना और अवसंरचना विकास के लिए 02 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****